भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. 346**
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: टमाटर उत्पादक किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लाभ**

***346. श्री मनीष जायसवालः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) टमाटर उत्पादक किसानों को फसल बीमा योजना से किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने झारखंड से टमाटर के निर्यात के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'टमाटर किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लाभ' के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 346 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण**

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट्स और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना है जो फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर पिछले अपेक्षित वर्षों के उपज डेटा की उपलब्धता के साथ-साथ दावों की गणना करने के लिए फसल की उपज का आकलन करने हेतु अपेक्षित संख्या में सीसीई आयोजित करने की राज्य सरकार की क्षमता के अध्यधीन है। तथापि, उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट फसल को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कवरेज हेतु अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर दावों का भुगतान किया जा रहा है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, त्रिपुरा और तमिलनाडु की राज्य सरकारें अपने राज्यों के टमाटर उत्पादक किसानों के लाभ के लिए पीएमएफबीवाई के तहत टमाटर की फसल को अधिसूचित कर रही हैं। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारें आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत टमाटर की फसल को अधिसूचित कर रही हैं।

वर्ष 2016 से कार्यान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक या अधिक कारणों से पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित किया है। झारखंड राज्य ने शुरुआत से लेकर खरीफ 2020 तक इस योजना को कार्यान्वित किया। तब से राज्य ने इस योजना को बंद कर दिया है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के कारण झारखंड राज्य खरीफ 2024 से पीएमएफबीवाई में पुन: शामिल हुआ है। चूंकि राज्य सरकार हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल हुई है, इसलिए राज्य द्वारा केवल प्रमुख फसलों को ही अधिसूचित किया गया है।

(ख) और (ग): वाणिज्य विभाग कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के माध्यम से वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के जरिए, टमाटर सहित, उनके निर्धारित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें झारखंड के निर्यातक भी शामिल हैं। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

**(i) निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:** एपेडा कृषि उद्योगों के विकास और मूल्य श्रृंखला में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को पहचानता है। योजना घटक में ताजा उपज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं। योजना का उद्देश्य खराब होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, यह फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग सुविधाएँ स्थापित करना चाहता है। इस घटक के तहत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैक हाउस सुविधाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर
- कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट
- केले जैसी फसलों की हैंडिलिंग के लिए केबल सिस्टम
- सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं

- आयात करने वाले देशों की फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विकिरण, वाष्प ताप उपचार, हॉट वाटर डिप उपचार जैसी प्री-शिपमेंट उपचार सुविधाएं
- मिसिंग गैप्स को दूर करने हेतु प्रसंस्करण सुविधाएं (प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र) के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक्स-रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टेक्स, फिल्थ/मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर या खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए कोई भी नया उपकरण या तकनीक जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं।

**(ii) गुणवत्ता विकास:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने/शामिल होने के लिए, विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कई आयातक देश आवश्यक अधिकतम अवशिष्ट स्तरों का कढ़ाई से अनुपालन की मांग करते हैं। कुछ विकसित आयातक देशों ने अधिकतम अवशेष स्तरों को बहुत कम स्तर पर स्थापित किया है। इसके लिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च परिशुद्धता वाले उपकरण लगाए जाने की आवश्यकता है। इस घटक के तहत, आयातक देशों के निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के तहत सहायता निम्नलिखित को कवर करती है:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
- प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण,
- ट्रेसिबिलिटी सिस्टम और नमूनों के परीक्षण आदि के लिए खेत स्तर के परिधीय निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हैंड हेल्ड उपकरण
- पानी, मिट्टी, अवशेष या कीटनाशकों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, दुषित पदार्थों आदि का परीक्षण।

**(iii) मार्केट विकास:** यह घटक निर्यातकों को नए मार्केट में मार्केट पहुंच प्राप्त करने और मौजूदा मार्केट में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है। इसमें खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए संरचित मार्केटिंग कार्यनीति, सूचित निर्णय लेने के लिए मार्केट इंटेलीजेंस, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग शामिल है। इस घटक के तहत सहायता निम्नलिखित को कवर करती है:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
- व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान
- क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन
- नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास और मौजूदा मानकों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग को उन्नत करना ।

वर्ष 2024-25 के दौरान, एपेडा ने झारखंड के किसानों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए राज्य के संभावित कृषि उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 11 एक्सपोर्ट-ओरिएंटिड (निर्यातोन्मुख) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।

*******